प्रेस -नोट

थाना चिरगांव

दिनाँक 19.01.2026

- **जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **थाना चिरगांव पुलिस व स्वाट टीम द्वारा लूट की घटना में प्रकाश में आए 02 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, ,**
- **कब्जे से 02 तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा करातूस 05 लाख नगद एवं 58 कूपन थैला सहित 01 मोबाइल फोन सहित घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल (बिना नं0 प्लेट) बरामद,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 19.01.2026 थाना चिरगांव पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 11/2026 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. नरेश परिहार पुत्र मैथिली परिहार उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी- ग्राम बीकर, थाना- दुरसड़ा, जिला- दतिया 2. जितेन्द्र पटेल पुत्र स्व0 रामकिशुन पटेल, निवासी- ग्राम दरियापुर, थाना- दुरसड़ा, जिला- दतिया को मुखबिर की सूचना पर भाण्डेर रोड के पास थाना क्षेत्र चिरगांव में चैकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नरेश परिहार व जितेन्द्र पटेल उपरोक्त पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए हैं।

मुठभेड़ में घायल अभियुक्तगण को जीवन रक्षार्थ उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। बदमाशों के कब्जे से 02 तमंचा 315 बोर, 02जिन्दा कारतूस, 01 खोखा करातूस 05 लाख नगद एवं 58 कूपन थैला सहित 01 मोबाइल फोन की बरामदगी की गयी है। पुलिस मुठभेड़ एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चिरगाँव पर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.01.2026 को थाना चिरगाँव पर वादी श्री सर्वेश कुशवाहा पुत्र राधेश्याम कुशवाहा, निवासी सुशील नगर, जनपद जालौन (उ0प्र0) द्वारा लिखित तहरीर के माध्यम से अवगत कराया गया कि वह अपनी कार से उरई से झाँसी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सेमरी टोल प्लाजा के समीप मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनकी कार को रोककर उनके साथ मारपीट की गई तथा वाहन में रखी व्यापार की नकद राशि छीनकर आरोपी मौके से फरार हो गए।

उक्त प्रकरण की विवेचना के क्रम में संकलित इलेक्ट्रॉनिक एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त विकास का नाम प्रकाश में आया, जिसे विधिवत गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 लाख रुपये नकद की बरामदगी की गई है। पूछताछ में अभियुक्त विकास द्वारा बताया गया कि वह एवं उसका मित्र नरेश, जो पूर्व में पिकअप वाहन चलाते थे, के बीच मित्रता थी। अभियुक्तगण को अपने खर्चों एवं महँगे शौकों की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से अभियुक्त विकास ने नरेश से संपर्क कर अपने सेठ के मुनीम को लूटने की

योजना बनाई। नरेश द्वारा अपने एक अन्य साथी जितेन्द्र को योजना में शामिल किया गया तथा योजनानुसार दिनांक 11.01.2026 को लूट की घटना को अंजाम दिया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण –</u>

1. नरेश परिहार पुत्र मैथिली परिहार उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी- ग्राम बीकर थाना- दुरसड़ा, जिला- दतिया(म0प्र0)

2. जितेन्द्र पटेल पुत्र स्व0 रामकिशुन पटेल, निवासी- ग्राम दरियापुर थाना- दुरसड़ा, जिला- दतिया(म0प्र0)

<u>बरामदगी का विवरण –</u>

1. कब्जे से 02 तमंचा 315 बोर,
2. 02जिन्दा कारतूस,
3. 01 खोखा करातूस
4. 05 लाख नगद एवं
5. 58 कूपन थैला सहित 01 मोबाइल फोन बरामद तथा

घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल (बिना नं0 प्लेट)

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम –</u>

थाना चिरगाँव पुलिस व स्वाट टीम ,